

।।कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा।।
ज्ञापन

क्रमांक / प्रति, / प्र.1 / भू-अर्जन / 2022

बेमेतरा, दिनांक

तहसीलदार
(मालजमादार कक्ष), बेमेतरा

विषय:- भू-अर्जन प्रकरण के धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय बेमेत सूचना पटल पर चस्पा कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के भू-अर्जन प्रकरण में प्रभावित नि भूमि प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति भेजी जा रही है जिसमें कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव छत्ती शासन श्रीमान जितेन्द्र कुमार शुक्ला के हस्ताक्षर है। एक-एक प्रति प्रारंभिक अधिसूचना तह कार्यालय बेमेतरा के सूचना पटल पर प्रकाशन करें तथा एक प्रति अधिसूचना पालन प्रतिवेदन कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।.

संलग्न :- अधिसूचना की प्रति।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेमेतरा (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 1417 प्र. / भू-अर्जन / 2022
प्रतिलिपि:-

बेमेतरा, दिनांक 17/11/2022

- 1 कलेक्टर (एन.आई.सी शाखा) बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रति वेबसाइट में प्रकाशित करेंगे।
- 2 कार्यालय ग्राम पंचायत..... तहसील व जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। अधिसूचना की प्रति आपके कार्यालय में चस्पा कर एक प्रति इस कार्या में उपलब्ध करावें।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी
बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग
// प्रारंभिक अधिसूचना //

क्रमांक 209/अ-82/भू-अर्जन/20-2

बेमेतरा, दिनांक 03/11/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम नं. (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह. नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
बेमेतरा	बेमेतरा	बहेरा/25	545/2 550/2 550/3 566/1	0.13 0.34 0.46 0.26	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा, जिला बेमेतरा	सिरवाबांधा जलाशय के डुबान में प्रभावित भूमि।
		योग :-	04	1.19		

- (2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ता/ लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारित के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- (5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014 दिनांक 05 फरवरी 2016 के द्वारा अधिनियम 2013 के अनुसार (सामाजिक समाघात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 अनुसार सुनवाई कर ली गई है।
- (6) प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


भू. अर्जन अधिकारी
बेमेतरा


(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग